

02.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी व वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाही जा रही है वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

24:-

रत्री गेशी के
रत्री फा ना
ता वादी वा
ग्राही उई
विवक्ता वा
ताने के
स्थित नही
स्थित नही
नी/अदम
ता है। पत्र
मोज दाखिल

